न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट कैम्प शिविर – खोखरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 34 / 2021

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
बिदिया पुत्री पुखाराम पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी मालियों का बडा बास, सोजत सिटी तहसील, सोजत, जिला पाली (राज0)।	1.	सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं पुनित दवे, अधिवक्ता वादीया उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 05.10.2021

अधिवक्ता वादिया ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील–सोजत जिला पाली (राजस्थान) मे वादीया की खातेदारी कब्जा काश्त खाता नंबर 457, पुराना खाता संख्य 1902 खसरा नंबर 2005/4 रकबा 0.2013 हैक्टर किस्म मेहन्दी कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.2013 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादीया का नाम बतौर मालिक खातेदार काश्तकार के इन्द्राज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि वादीया के पिता पुखाराम की खातेदारी कृषि भूमि थी, जिसके मूल खसरा नंबर 2005 है। वादीया के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण मे वादीया का नाम सहवन से घर का लाड प्यार का नाम गुनिया देवी राजस्व रेकर्ड में वादीया के सही एवं दस्तावेजी अवलोकन किये बिना पेन ऑफ मिसटैक एवं सद्भातिक त्रुटिवश बिदिया के स्थान पर गुनिया देवी दर्ज कर दिया गया था तत्पश्चात वादीया एवं पुखाराम के विधिक वारिसान द्वारा उपरोक्त मूल खसरा नं 2005 का आपसी स्तर पर दिनांक 11.07.2015 को उक्त कृषि भूमि का विभाजन किया गया। जिस मूल खसरा के खसरा नंबर 2005/4 रकबा 0.2013 हैक्टर कृषि भूमि वादीया के हक हिस्से में रखी गयी तथा उक्त विभाजन को श्रीमान तहसीलदार, सोजत के द्वारा आदेश क्रमांक राज/15/1098 दिनांक 11.07.2015 को स्वीकार किया गया है, जिसमें भी वादिया का नाम गुनिया देवी अंकित किया गया था तथा विभाजन पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में वादिया का नाम गुनिया उर्फ बिदिया अंकित है जबकि वादीया के पिता पुखाराम के गुनिया देवी के नाम से कोई पुत्री नही है। गुनिया देवी एवं बिदया एक ही महिला हैं जो पुखाराम की जाईन्दा पुत्री है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड मे वादीया का नाम बिदिया के स्थान पर गुनिया देवी दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नही थी, वादीया स्वयं अनपढ, निरक्षर महिला होने व राजस्व रेकर्ड की जानकारी के अभाव में उक्त त्रुटि के संबंध में जानकारी पूर्व में नही हो पाई। अभी वर्तमान में दिनांक 12.01.2021 को वादी उपरोक्त कृषि भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने से संबंधित पटवारी हल्का से संपर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहा जिस पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादीया को उक्त कृषि भूमि में बिदिया दर्ज न होकर गुनिया देवी नाम दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज संबंधित कर्मचारी द्वारा वादी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम बिदिया दर्ज न कर गुनिया देवी पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

टि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। उक्त कृषि भमि के राजस्व रेकर्ड मे वादी बिदिया का नाम दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पडेगा क्योंकि उक्त वादग्रस्थ कृषि भूमि में वादीया ही एकमात्र खातेदार है अन्य कोई खातेदार नहीं है। इसलिये वादी वादरथ भूमि के राजस्व रेकर्ड में गुनिया देवी के स्थान पर बिदिया से खातेदारी घोषणा करवा कर रेकर्ड दुरस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरस्ती का पेश किया है। बिनायदावा वादरथ कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा वादी के बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये वक्त इन्द्राज बिदिया के स्थान पर गुनिया दर्ज कर देने से व वादी स्वयं अनपढ निरक्षर का पूर्व में जानकारी नहीं होने से दिनांक 12.01.2021 को वादी द्वारा उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादी को उक्त कृषि भूमि में बिदिया दर्ज न होकर गुनिया नाम दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने से वाद कारण बमुकाम सोजत सिटी उत्पन्न हुआ जो वाद अंदर म्याद पेश किया है। वादी का नाम बिदिया के स्थान पर गुनिया देवी दर्ज हो जाने से वादी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड रहा है व अन्य लाभों से वंचित होना पड रहा है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम गुनिया देवी के स्थान पर बिदिया दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती के संबंध में वादी द्वारा श्रीमान तहसीलदार, सोजत के कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरस्ती नहीं करने से उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि वादरथ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार बिदिया पत्नि घनश्याम नि० सोजतसिटी दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादिया ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 दिनांक 07.04.2021 को पेश किया। कि वादरथ कृषि भूमि मौजा सोजत चक–2 में स्थित होना स्वीकार किया है। वाद–पत्र में वर्णित अन्य पैराज में वर्णित तथ्यों को वादी द्वारा स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने तथा कानूनी होना का अंकन किया है। प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादी को आज दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया।

दिनांक 309.2021 को तनकियात संख्या 01 कायम की गई कि "आया वादीया वादरथ कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय खसरा नंबर 2005/4 रकबा 0.2013 के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती कर गुनिया देवी के स्थान पर बिदिया के नाम खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है।" (जिम्मेवादी)।

अधिवक्ता वादिया द्वारा दिनांक 30.09.2021 को प्रस्तुत शहादत वादिया पीडब्ल्यु–1 बिदिया पुत्री पुखाराम पत्नि घनश्याम माली सा0 मालियो का बड़ा बास सोजतसिटी का तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश किया, की प्रति तहसीलदार, सोजत को दिलाई गई, सा0मि0 किया गया। मुख्य परीक्षण तस्दीक सुदा उक्त शपथ–पत्र पर बयान कलमबद्ध करवाये गये, सा0मि0 किये गये। जिस पर तहसीलदार, सोजत की जिरह शून्य रही, रेकर्ड पर है। अधिवक्ता वादिया द्वारा अन्य शहादत पेश नही करना चाहने से शहादत वादिया बन्द की गई।

अधिवक्ता मय वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रदर्श – 1, जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 खाता संख्या 1902 खसरा नम्बर 2005/4 रकबा 0.2013, प्रदर्श – 2 जमाबन्दी सम्वत् 2074– 77 खाता संख्या 454 ,खसरा नम्बर 2005/4 रकबा 0.2013 हैक्टर किस्म मेहन्दी में वादिया का नाम बतौर खातेदार गुनिया पुत्री पुखाराम दर्ज शुदा है। प्रदर्श – 3 नामान्तरकरण संख्या 3201 कॉलम संख्या 7 व 9 में वादिया का नाम गुणिया देवी पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

पुखाराम कौम माली दर्ज शुदा है। इसी नामान्तरकरण के पृष्ठ पर बने नजरी नक्शा में वादिया का नाम खसरा नम्बर 2005/4 पर गुनिया उर्फ बिदिया अंकित है।

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 अटल सेवा केन्द्र–खोखरा में आज दिनांक 05.10.2021 को पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, प्रदर्श–3 नामान्तरकरण 3201 तथा नामान्तरकरण के पृष्ठ पर अंकित गुणिया उर्फ बिदिया, प्रदर्श–5 राशनकार्ड, प्रदर्श–6 आधार कार्ड, प्रदर्श–7 जनआधार कार्ड, प्रदर्श–8 भामाशाह कार्ड के अंकनानुसार वादिया का वास्तविक नाम बिदिया पत्नि घनश्याम जाति माली नि0 सोजतसिटी तह0 सोजत अंकित है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात से बखूबी साबित होने से तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

वादीया का नाम बोलचाल की भाषा का गलत रूप से दर्ज गुनिया देवी पुत्री पुखाराम मानवीय सदभाविक चूॅक/भूलवश अंकित कर दिया गया। जबकि वास्तविक नाम बिदिया पत्नि घनश्याम होना बखूबी साबित होने से उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बिदिया पत्नि घनश्याम माली नि0 मालियो का बड़ा बास, सोजतसिटी दुरूस्त दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से दुरूस्त दर्ज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय वादिया का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील–सोजत जिला पाली राजस्थान मे वादीया की खातेदारी कृषि भूमि खाता नंबर 457, पुराना खाता संख्या 1902 खसरा नंबर 2005/4 रकाबा 0.2013 हैक्टर किस्म मेहन्दी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूॅक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम गुनियादेवी पुत्री पुखाराम के स्थान पर बिदिया पुत्री पुखाराम जाति माली सा0देह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – खोखरा

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021/कोर्ट कैम्प, शिविर खोखरा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – खोखरा

डिक्री पर्चा

(आ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

प्रशासन गांवो के संग अभियान /कोर्ट कैम्प–शिविर ,खोखरा

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
बिदिया पुत्री पुखाराम पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी मालियों का बडा बास, सोजत सिटी तहसील, सोजत, जिला पाली (राज0)।	1.	सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

मु0नं0 :– 55 / 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं पुनित दवे एवं तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील–सोजत जिला पाली राजस्थान मे वादीया की खातेदारी कब्जा काश्त खाता नंबर 457, पुराना खाता संख्य 1902 खसरा नंबर 2005 / 4 रकाबा 0.2013 हैक्टर किस्म मेहन्दी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक / मानवीय चूंक / भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम गुनिया के स्थान बिदिया पत्नि घनश्याम जाति माली सा0देह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। इस निर्णय एवं डिक्री पर्चा प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.10.2021 को आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान / कोर्ट कैम्प– शिविर, खोखरा जारी की गई।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली))

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – खोखरा

(उपखण्ड अधिकारी सोजत)

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			